न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 98 / 2022

1. श्रीमति सुन्दर पत्नी नाथू जाति नाई निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय केकड़ी
2. गोपाल पुत्र छोगा जाति नाई निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय केकड़ी
3. मदन पुत्र छोगा जाति नाई निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय केकड़ी
4. श्रीमति मंजू देवी पत्नी शिवराज जाति नाई निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय केकड़ी
5. महावीर पुत्र शिवराज जाति नाई निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय केकड़ी
6. रामाअवतार पुत्र शिवराज जाति नाई निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. हरिद्वार पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय केकड़ी
2. सुरज पुत्र सुवालाल जाति नाई निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय केकड़ी
3. कालू पुत्र तेजूलाल जाति नाई निवासी बड़ला उर्फ काला तालाब तहसील भिनाय केकड़ी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–14.02.2023

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामनिया
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बड़ला उर्फ काला तालाब पटवार क्षेत्र बड़ला उर्फ काला तालाब भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 444 में दर्ज खसरा नं. 2806 रकबा 0.18, खसरा नं. 2807 रकबा 0.26, खसरा नं. 2808 रकबा 0.49, खसरा नं. 2819 रकबा 0.32 और खसरा नं. 2820 रकबा 0.22 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.47 हैं0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01 लगायत 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजकीय प्रभावित ना होने की टिप्पणी अंकित की। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बड़ला उर्फ काला तालाब के खाता संख्या 444 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बड़ला उर्फ काला तालाब पटवार क्षेत्र बड़ला उर्फ काला तालाब भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 444 में दर्ज खसरा नं. 2806 रकबा 0.18, खसरा नं. 2807 रकबा 0.26, खसरा नं. 2808 रकबा 0.49, खसरा नं. 2819 रकबा 0.32 और खसरा नं. 2820 रकबा 0.22 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.47 है0** हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)